मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक जी-25/29/95/सी/चार

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:-- विशेष निर्योग्यता अवकाश की स्वीकृति.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 39 तथा 40 में वर्णित परिस्थितियों में शासकीय सेवकों को विशेष निर्योग्यता अवकाश स्वीकृत किया जाता है. इन्हीं नियमों के नियम 40-ए में ऐसे प्रकरणों को प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को भेजे जाने का प्रावधान है.

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि अब ऐसे प्रकरणों का निराकरण संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा ही किया जाय अर्थात् ऐसे प्रकरण वित्त विभाग को नहीं भेजे जावेंगे.

3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 39 तथा 40-ए का संशोधन संलग्न है. लंबित प्रकरणों का निराकरण भी प्रशासकीय विभाग द्वारा ही किया जावेगा.

4. जिन परिस्थितियों में विशेष निर्योग्यता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है उनका स्पष्ट उल्लेख नियम-39 और 40 में है. इन नियमों में किसी तरह का शिथलीकरण किसी भी प्रकरण में नहीं किया जायेगा.

हस्ता./-
(ए. एन. अस्थाना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक बी-25/29/95/सी/चार

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 1995

प्रतिलिपि:--

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. नियंत्रक, शासकीय प्रेस भोपाल की ओर राजपत्र के भाग-4 में प्रकाशित करने के लिये.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल.
8. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल.
9. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.
10. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल

12. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय, 85/16, तुलसी नगर, भोपाल
13. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय, 12/5,साउथ टी. टी. नगर, भोपाल
14. प्रमुख महामंत्री, म. प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय, 6/45, बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल
15. महामंत्री, म. प्र. राज्य कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, 48/26, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल
16. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय-98/48, तुलसी नगर, भोपाल.
17. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, कार्यालय 83/85 तुलसी नगर, भोपाल
18. पेंशनर कल्याण मण्डल के सभी सदस्य.

---

19. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश.
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-
(आर. के . गेहलोत)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.